



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 145-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 18, 2017 (SRAVANA 26, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2017

**संख्या 73/एसटी-2** – हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन बनाए गये हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 69/एसटी-2, दिनांक 10 अगस्त, 2017, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्य कर आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में, नीचे की सारणी के खाना (2) में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के खाना (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तिथि तक, विवरणी देने हेतु उक्त सारणी के खाना (4) में शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में विवरणी देने की अंतिम तिथि	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किंतु जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी. आर.ए.एन-1 फाइल न करने का विकल्प चुना है।	20 अगस्त, 2017	...

2.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी. आर.ए.एन-1 फाइल करने का विकल्प चुना है।	28 अगस्त, 2017	<p>(i) जुलाई, 2017 के मास के लिए “उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर” की संगणना करना और 20 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसे नकद में जमा करना;</p> <p>(ii) जी.एस.टी.आर.-3ख फाइल करने से पूर्व, उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन-1 फाइल करना;</p> <p>(iii) जहां जुलाई, 2017 मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर की राशि, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में हैं, मद (i) के अनुसार नकद में जमा किए गए कर की राशि से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार 28 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व नकद में ऐसी आधिक्य राशि का, 21 अगस्त, 2017 से ऐसे जमा किए जाने की तारीख तक संगणित ऐसे ब्याज के साथ, जो लागू हो, भुगतान करेगा।</p>
3.	कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	20 अगस्त, 2017	...

**2. जी.एस.टी.आर.-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का भुगतान-** प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में विवरणी फाइल करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

**व्याख्या-**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिपद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है ;
- (ii) “उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य करपद से जुलाई, 2017 मास के लिए भुगतान योग्य ऐसे कर, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में दिए गए हैं और इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी राशि, जिसके लिए कर उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम के अध्याय 5 और धारा 140 के अधीन जुलाई, 2017 मास के लिए वह हकदार हो, के बीच का अंतर अभिप्रेत है।

**3.** यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

आशिमा बराड़,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-  
राज्य कर आयुक्त, हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th August, 2017

**No. 73/ST-2.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereafter in this notification referred to as “the said Rules”) framed under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”) and Haryana Government, Excise and Taxation Department Notification No.69/ST-2, dated 10th August, 2017, the Commissioner of State Tax, Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies the conditions in column (4) of the Table below, for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically through the common portal for the month of July, 2017, for such class of registered persons as mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, by the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

**Table**

Sl. No.	Class of registered persons	Last date for furnishing of return in FORM GSTR-3B	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Registered persons entitled to avail input tax credit in terms of section 140 of the said Act read with rule 117 of the said Rules but opting not to file FORM GST TRAN-1 on or before the 28th August, 2017	20th August, 2017	...
2.	Registered persons entitled to avail input tax credit in terms of section 140 of the said Act read with rule 117 of the said Rules and opting to file FORM GST TRAN-1 on or before the 28th August, 2017	28th August, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) compute the “tax payable under the said Act” for the month of July, 2017 and deposit the same in cash as per the provisions of rule 87 of the said Rules on or before the 20th August, 2017;</li> <li>(ii) file FORM GST TRAN-1 under sub-rule (1) of rule 117 of the said Rules before the filing of GSTR-3B;</li> <li>(iii) where the amount of tax payable under the said Act for the month of July, 2017, as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B, exceeds the amount of tax deposited in cash as per item (i), the registered person shall pay such excess amount in cash in accordance with the provisions of rule 87 of the said Rules on or before the 28th August, 2017 along with the applicable interest calculated from the 21st day of August, 2017 till the date of such deposit.</li> </ul>
3.	Any other registered person	20th August, 2017	...

**2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger.

**Explanation.**— For the purposes of this notification, the expression-

- (i) “Registered person” means the person required to file return under sub-section (1) of section 39 of the said Act;
  - (ii) “tax payable under the said Act” means the difference between the tax payable for the month of July, 2017 as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B and the amount of input tax credit entitled to for the month of July, 2017 under Chapter V and section 140 of the said Act read with the rules made thereunder.
- 3.** This notification shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

ASHIMA BRAR,  
Excise and Taxation Commissioner- cum-  
Commissioner of State Tax, Haryana.